दिनांक 24-10-2013 (बृहस्पतिवार) को श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में आयोजित नवगठित विद्युत लाइसेंसिंग बोर्ड, मधेपुरा की बैठक की कार्यवाही

➢ उपस्थिति :- यथा अंकित पंजी अनुसार।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित लाइसेंसिंग बोर्ड के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी सदस्य पूर्व तैयारी के साथ बैठक में आये होंगे। अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी :-

1. बैठक में बताया गया कि उर्जा विभागीय अधिसूचना संख्या 276/स0को0 दिनांक 08-07-2013 में निहित निदेश के आलोक में मुख्य अभियंता उर्जा विभाग बिहार पटना के आदेश ज्ञापांक 75 दिनांक 10-08-2013 के द्वारा सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य अवर प्रमंडल, सहरसा को प्रमंडल के सभी तीन जिलों के लिए लाइसेंसिंग बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, जो आज की बैठक से अनुपस्थित हैं। बैठक में उपस्थित सहायक, विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, सहरसा द्वारा बताया गया कि दूरभाष पर मिली सूचना के अनुपालन में वे बैठक में उपस्थित है। अध्यक्ष द्वारा इन्हें बैठक में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई तथा निदेश दिया गया कि लाइसेंसिंग बोर्ड मधेपुरा में अतिरिक्त सदस्य के रूप में सहायक, विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, सहरसा शहरी को नामित करने हेतु मुख्य विद्युत अभियंता, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को अनुरोध पत्र लिखा जाए।

(अनुपालन :- सचिव-सह-सदस्य, लाइसेंसिंग बोर्ड, मधेपुरा)

2. <u>विद्युत ठीकेदारों को लाइसेंस /पर्यवेक्षकों को क्षमता प्रमाण पत्र /तारमिस्त्रियों को परमिट निर्गत करना :-</u>

➢ <u>विद्युत ठीकेदारों को लाइसेंस</u> :- सचिव-सह-सदस्य द्वारा बताया गया कि (i) विद्युत ठीकेदारों को लाइसेंस हेतु निर्धारित फीस रूपया 250/- के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन करना है (ii) ठीकेदार को दो परमिटधारी तारमिस्त्री तथा एक प्रमाण पत्र धारी पर्यवेक्षक को नियुक्त करने संबंधी शपथ-पत्र सचिव के समक्ष भरना होगा। (iii) ठीकेदार लाइसेंस की क्षमता एवं कार्य उनके द्वारा नियोजित पर्यवेक्षक के क्षमता प्रमाण-पत्र की सीमा के अंतर्गत दिया जाएगा। यदि क्षमता प्रमाण-पत्र मीडियम वोल्टेज उपकरणों का होगा तो ठीकेदार को हाई वोल्टेज अथवा एक्सट्रा हाई वोल्टेज का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। (iv) ठीकेदार लाइसेंस किसी फर्म अथवा किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर दिया जा सकेगा। (v) आवेदक को तीन रंगीन पासपोर्ट /स्टाम्प साईज का फोटो (राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित) एवं पहचान हेतु दो संभ्रांत व्यक्तियों का परिचय भी देना होगा। आवश्यक उपकरणों में एक अर्थ टेस्टर एवं इंसुलेशन मेगर आवेदक को सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

- **<u>पर्यवेक्षक को क्षमता प्रमाण-पत्र</u>** :- सचिव-सह-सदस्य द्वारा बताया गया कि (i) पर्यवेक्षक को क्षमता प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित फीस रूपया 100/- के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन करना है। (ii) विद्युत अभियंत्रण के उम्मीदवारों को कार्यानुभव की आवश्यकता नहीं होगी। (iii) विद्युत डिप्लोमाधारी को कम-से-कम दो वर्षों का विद्युत कार्य का अनुभव आवश्यक होगा। (iv) दो वर्षीय इलेक्ट्रिशियन /वायरमैन ट्रेड (ITI) में उत्तीर्ण होने के बाद 4 (चार) वर्षों का विद्युत संयत्रों का रख-रखाव एवं अधिष्ठापन में व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होगा। (v) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें 06 (छः) वर्षों का विद्युत संयत्रों के रख-रखाव एवं अधिष्ठापन का ज्ञान होना आवश्यक होगा। (vi) आवेदन के साथ निम्न कागजात देना होगा :-
    - सचरित्रता प्रमाण-पत्र किसी उत्तरदायी व्यक्ति का, जो आवेदक को कम-से-कम पाँच वर्षो से जानता हो।
    - शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की प्रति।
    - अनुभव प्रमाण-पत्र
    - दी गयी फीस का प्रमाण-पत्र
    - अभिप्रमाणित फोटो की तीन प्रतियों (रंगीन पासपोर्ट /स्टाम्प साईज)
    - आवासीय प्रमाण-पत्र
- **<u>तार मिस्त्रियों को परमिट</u>** :- सचिव-सह-सदस्य द्वारा बताया गया कि (i) तारमिस्त्रियों को परमिट हेतु निर्धारित फीस रूपया 25/- के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन करना है। (ii) तार मिस्त्री हेतु आवेदक को विद्युत संबंधी कार्य का न्यूनतम एक वर्ष का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होगा। (iii) आवेदन के साथ निम्न कागजात देना होगा :-
    - सचरित्रता प्रमाण-पत्र किसी उत्तरदायी व्यक्ति का, जो आवेदक को कम-से-कम पाँच वर्षो से जानता हो।
    - शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की प्रति।
    - अनुभव प्रमाण-पत्र
    - दी गयी फीस का प्रमाण-पत्र
    - अभिप्रमाणित फोटो की तीन प्रतियों (रंगीन पासपोर्ट /स्टाम्प साईज)
    - आवासीय प्रमाण-पत्र

<u>बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के क्रम में जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष द्वारा निम्न निदेश दिये गए</u> :-

- विद्युत ठीकेदारों को लाइसेंस /पर्यवेक्षकों को क्षमता प्रमाण-पत्र /तारमिस्त्रियों को परमिट निर्गत करने के निमित्त प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक इच्छुक आवेदक से विहित प्रपत्र में आवेदन स्वीकार किया जाएगा एवं 15वीं तारीख को बोर्ड द्वारा अंतर्वीक्षा ली जाएगी। निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को अंतर्वीक्षा ली जाएगी। कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मधेपुरा इस संबंध में स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई अचूक सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति मंडल, मधेपुरा)

- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा ऑन लाईन आवेदन प्राप्त करने के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सचिव, लाइसेंसिंग बोर्ड, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वे आज ही आवेदनों का विहित प्रपत्र डी0आई0ओ0, मधेपुरा को जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु उपलब्ध करा दें।

(अनुपालन - जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा /सचिव-सह-सदस्य, लाइसेंसिंग बोर्ड, मधेपुरा)

- सभी प्रकार का आवेदन सचिव-सह-सदस्य, लाइसेंसिंग बोर्ड, मधेपुरा के पदनाम से प्राप्त किया जाएगा एवं जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय मधेपुरा में इसका विधिवत संधारण किया जाएगा। जो आवेदन पत्र विचार में त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरा पाया जाएगा, तो सचिव द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अस्वीकृत करने का कारण सहित पावती रसीद नामांकन के साथ उम्मीदवारों को वापस किया जाएगा। स्वीकृत आवेदनों का सभी विवरणी सहित मैट्रिक्स (Matrix) इस प्रकार तैयार कर जिला के वेबसाईट पर डाला जाएगा कि बटन क्लिक करने पर Ready reference के तौर पर अभ्यर्थी का पता /शैक्षणिक योग्यता /अनुभव आदि की जानकारी प्राप्त हो सके एवं आवेदकों द्वारा समर्पित वांछित प्रमाण-पत्र आदि को भी डाउनलोड किया जा सके, ताकि दावा /आपत्ति में इसकी उपयोगिता पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जा सके। इस सम्पूर्ण कार्य को सहायक, विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, सहरसा शहरी के द्वारा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा के सहयोग से किया जाएगा। इस प्रकार Short listing सूची की हार्ड कॉपी अंतर्वीक्षा की तिथि को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(अनुपालन - महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा /सचिव-सह-सदस्य, लाइसेंस बोर्ड, मधेपुरा /जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा /सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, सहरसा शहरी)

- प्राप्त आवेदनों के विधिवत संधारण /परिनिरीक्षण कर आवेदनों के Short listing आदि में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड के सदस्य के नजदीकी रिश्तेदार /नजदीकी जान-पहचान वाले हो तो संबंधित सदस्य ससमय इसकी सूचना लिखित में बोर्ड को देंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही को जानबूझ कर की गई कार्रवाई मानते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन - लाइसेंसिंग बोर्ड के सभी सदस्य)

- लाईसेंस /क्षमता प्रमाण-पत्र /परमिट के लिए आवेदनों के साथ राजपत्रित पदाधिकारी से निर्गत पहचान पत्र आवश्यक होगा। सचिव इसे सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- सचिव -सह-सदस्य, लाइसेंसिंग बोर्ड, मधेपुरा)

- अंतर्वीक्षा में अभ्यर्थियों के व्यवहारिक ज्ञान के साथ-साथ भौतिक रूप से अभ्यर्थी के कार्य कुशलता एवं क्षमता की जानकारी ली जाएगी, ताकि उद्देश्य की पूर्ति के लिए वास्तविक /सही अभ्यर्थी का चयन हो सके।

(अनुपालन - लाइसेंसिंग बोर्ड के सभी सदस्य)

➢ शुल्क आदि के समुचित संधारण हेतु Axis Bank में जिला पदाधिकारी के पदनाम से एक खाता खोली जाए एवं Triplet Challan के माध्यम से शुल्क आदि जमा करने की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन :- सचिव -सह-सदस्य, लाइसेंसिंग बोर्ड, मधेपुरा)

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-

जिला पदाधिकारी

-सह-

अध्यक्ष, लाइसेंसिंग बोर्ड, मधेपुरा।

ज्ञापांक ..../वि0 मधेपुरा दिनांक ....

प्रतिलिपि :-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना / प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना /मुख्य विद्युत अभियंता, उर्जा विभाग, बिहार, पटना / वरीय विद्युत निरीक्षक, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि :- सचिव, उर्जा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-

जिला पदाधिकारी

-सह-

अध्यक्ष, लाईसेंसिंग बोर्ड, मधेपुरा।

ज्ञापांक ......519........../वि0 मधेपुरा दिनांक 24/10/2013......

प्रतिलिपि :- लाइसेंसिंग बोर्ड के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा /सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, सहरसा शहरी /अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कार्यवाही को जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :-जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु प्रेषित।

ह0 24/10/13

जिला पदाधिकारी

-सह-

अध्यक्ष, लाइसेंसिंग बोर्ड, मधेपुरा।

24/10/13